Worth Reportable

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/सीलिंग/2002/5422/गंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

....प्रार्थी

बनाम

1. मलकियतसिंह पुत्र जनरैलसिंह जाति जटसिख, 3 जी.बी.श्रीविजयनगर (मृतक) के विधिक उत्तराधिकारीगण
   (1) श्रीमती रणजीत कौर बेवा मलकियतसिंह
   (2) बलविन्द्रसिंह
   (3) बख्तावरसिंह
   (4) बैयन्त कौर
   – पुत्रान एवं पुत्री मलकियतसिंह अकवाम जटसिखान
   (5) श्रीमती किरण दीप पत्नि हरविन्द्रसिंह पुत्री मलकियतसिंह जटसिख
   – समस्त निवासीगण 3 जी.बी.तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित :–
श्रीमती पूनम माथुर राजकीय अतिरिक्त अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री सतबीर सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण ।

निर्णय **दिनांकः 26.04.2019**

1. यह अपील राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 23(2)ए के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 4/2000 में दिनांक 22.07.2002 को पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतक मलकियत सिंह व रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 से 5 के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही चली थी, जिसमें प्राधिकृत अधिकारी ने रेस्पोण्डेण्टस के विरूद्ध अधिक भूमि नहीं पाते हुए कार्यवाही दिनांक 3.5.1971 को समाप्त कर दी थी । तत्पश्चात् जिला कलक्टर गंगानगर द्वारा उक्त प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, जिस पर राज्य सरकार ने नये सीलिंग कानून की धारा 15(6)(2) के तहत प्रकरण को रिओपन कर पुनः कार्यवाही करने हेतु दिनांक 28.11.1980 को अतिरिक्त

जिला कलक्टर, गंगानगर को निर्देश दिए । अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) गंगानगर ने प्रकरण दर्ज कर रेस्पोण्डेण्टस को तलब किया तथा बाद में दिनांक 27.10.1997 को यह आदेश दिया कि निर्धारित तिथि अर्थात् दिनांक 1.4.1966 को विपक्षीगण के पास 57.08 बीघा भूमि थी तथा उनके परिवार के सदस्यों की संख्या 05 थी । इसलिये रेस्पोण्डेण्टस 46.08 बीघा भूमि धारण करने के अधिकारी है । शेष 11 बीघा भूमि उनके पास सरप्लस होने से अधिग्रहण की जाती है। उक्त आदेश को रेस्पोण्डेण्टस ने राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष अपील पेश करके चुनौती दी थी । राजस्व मण्डल द्वारा उभय पक्षकारान को सुनकर दिनांक 22.8.2000 को प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को रिमाण्ड किया कि वह इस बाबत जांच करे कि दिनांक 1.4.1966 को बेयन्त कौर पैदा हो चुकी थी अथवा नहीं ? इस रिमाण्ड की पालना में विचारण न्यायालय ने साक्ष्य सबूत लेखबद्ध कर बेअन्तकौर का जन्म दिनांक 1.4.1966 को होना मानकर रेस्पोण्डेण्टस की भूमि 54.08 बीघा होने के नाते केवल 3.05 बीघा भूमि को सीलिंग से अधिक माना तथा फ्रेगमेन्ट का लाभ देते हुए सीलिंग की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 22.7.2002 को इस प्रथम अपील के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाघक की दलील है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने इस तथ्य की तरफ ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोण्डेण्ट बेयन्त कौर के जन्म के संबंध में प्रस्तुत किये गये ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) व जन्मप्रमाण पत्र में गंभीर विरोधाभास है । जहां टीसी में उसकी जन्मतिथि 10.5.1965 अंकित है वहां उसके जन्म प्रमाण-पत्र में जन्मतिथि 5.10.1965 अंकित है । इन संदिग्ध दस्तावेजात के आधार पर पारित किया गया आक्षेपित आदेश अवैधानिक है। इसके अलावा एसेसी की बेवा श्रीमती रणजीत कौर ने अपने सशपथ कथन में यह माना है कि बेअन्तकौर कभी स्कूल नहीं गई थी । इस कारण भी स्कूल की टीसी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । इसके अलावा दिनांक 30.9.1965 के घोषणा पत्र में भूमिधारी मल्कियत सिंह ने स्वयं को मिलाकर अपने परिवार के सदस्यों की संख्या 05 अंकित की थी । यदि टीसी को ध्यान में रखते हुए बेअन्त कौर की जन्म दिनांक 10.5.1965 हाना मानी जाए तो फिर घोषणा पत्र में उसके नाम का अंकन क्यों नहीं किया गया ? इस बात का कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। इससे लगता है कि सीलिंग प्रकरण को निष्फल करने के इरादे से ऐसे

दस्तावेज तैयार करने का असफल प्रयास किया गया है कि बेअन्त कौर का जन्म 1.4.1966 से पूर्व हो गया था। अतः निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 22.7.2002 को अपास्त किया जाकर 11 बीघा भूमि सरप्लस घोषित करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाए।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोण्डेण्टस ने उक्त दलीलों का विरोध किया । उनका कहना हे कि इस प्रकरण में मात्र इतना ही तय किया जाना है कि क्या बेअन्त कौर का जन्म दिनांक 1.4.1966 से पूर्व हो चुका था अथवा नहीं ? राजस्व मण्डल में अपने निर्णय दिनांक 22.8.2000 में भी जांच का विषय केवल इसी बिन्दू तक सीमित रखा था । उनकी यह भी दलील है कि बेअन्त कौर के स्कूल की टीसी में उसकी जन्मतिथि दिनांक 10.5.1965 अंकित है तथा जन्मप्रमाण–पत्र. में उसकी जन्मतिथि 5.10.1965 अंकित है । यह अन्तर माह व तिथि अंकित करते सकय लिपिकीय भूलवश आया है । स्कूल का प्रमाणपत्र पुराना है, जिसमें उसकी तिथि 10.5.1965 सही अंकित है । तथापि साक्ष्य से यह तो निर्विवाद है कि बेअन्तकौर वर्ष 1965 में पैदा हो गई थी । इसलिये दिनांक 1.4.1966 को एसेसी के परिवार के सदस्यों की संख्या 06 थी । यह 6 सदस्य 55 बीघा भूमि धारण करने के अधिकारी हैं । शेष तकरीबन 3 बीघा भूमि फ्रेगमेंट में आने से अधिग्रहण योग्य नहीं रह जाती है । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का भलीभांति विश्लेषण व मूल्यांकन किया है । विचारण न्यायालय के निष्कर्षो में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है अतः अपील खारिज की जावे ।

6. उक्त तर्को पर मनन किया गया । पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. सीलिंग की कार्यवाही आरम्भ होने पर एसेसी से मुख्यतः उसकी भूमि के विवरण व परिवार के सदस्यों की संख्या इसलिये पूछी जाती है ताकि जांच को एक दिशा मिल सके तथा प्रकरण के निस्तारण में सहूलियत हो सके । सामान्यतः एसेसी उस घोषणा पत्र में वर्णित तथ्यों से मुकर नहीं सकता है । उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाती है तो घोषणा पत्र लेने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा तथा एसेसी सीलिंग प्रकरण को विफल करने के लिये व उससे बचने के लिये साक्ष्य से छेडछाड करता रहेगा । वह ऐसी साक्ष्य को विदहेल्ड कर लेगा जो उसके खिलाफ जाती हो या ऐसी साक्ष्य की रचना कर लेगा जो उसके बचाव को संबल प्रदान करती हो । इसलिये घोषणा–पत्र में वर्णित तथ्यों पर सामान्यतः Estoppel का सिद्धान्त लागू होता है । यदि फिर भी ऐसी कोई त्रुटि घोषणा पत्र में रह गई हो जिसकी पुष्टि अकाट्य साक्ष्य से होती

हो, उस स्थिति में न्यायालय को अपवाद स्वरूप वास्तविक तथ्यों की अनदेखी नहीं करनी चाहिये ।

8. मौजूदा मामले में घोषणा पत्र दिनांक 30.9.1965 में एसेसी ने स्वयं, स्वयं की पत्नी एवं स्वयं के तीन पुत्रों का जीवित होना बताया था । इस मुताबिक उस रोज उसके परिवार में छठा सदस्य कोई नहीं था । इसलिये स्कूल की जिस टीसी का अवलम्ब लिया गया है तथा जिसमें बेअन्तकौर की जन्मतिथि 10.5.1965 अंकित है, वह किस कदर विश्वास योग्य है, इस बात को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री की रोशनी में देखना होगा । इस टीसी को विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बलदेव बराड के माध्यम से प्रदर्शित करवा गया है, उसने अपने कथन में बताया है कि बेअन्त कौर का स्कूल में दाखिला वर्ष 1977-78 में हुआ था । साक्षी ने यह भी बताया है कि बच्चों की जन्मतिथि उसके माता पिता की मौखिक सूचना अनुसार लिखी जाती है तथा सरकारी स्कूलों में एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है । इस साक्षी ने यह भी बताया है कि जब बेअन्त कौर का स्कूल में दाखिला करवा गया, उस समय यह साक्षी इस स्कूल में नियुक्त नहीं था। इस प्रकार इस साक्षी ने केवल रेकार्ड के अनुसार बयान दिया है । बच्ची बेअन्तकौर की माता श्रीमती रणजीत कौर का बयान विचारण न्यायालय में दो बार लेखबद्ध हुआ है । उसने दिनांक 2.12.1996 को लेखबद्ध बयान में बताया है कि बेअन्त कौर कभी स्कूल में नहीं गई। इसी तरह दिनांक 4.12.2001 को लेखबद्ध सशपथ कथन में साक्षिया ने स्पष्ट किया है कि बेअन्त कौर अनपढ है तथा एक बार उसका स्कूल में दाखिला मात्र करवाया था, वह कभी स्कूल नहीं गई । इस साक्षीया ने स्कूल रिकार्ड में बेअन्त कौर की जन्म तिथि 5.10.1965 अंकित होना बताया है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बेअन्त कौर की जो टीसी पेश की गई है, वह नुमाईशी है । केवल मात्र साक्ष्य एकत्र करने के लिये उसका वर्ष 1974 में स्कूल में दाखिला करवाया गया था । यदि बेअन्त कौर का जन्म वास्तव में दिनांक 10.5.1965 को हो गया था तो घोषणा पत्र में उसका पिता उसका नाम व जन्मतिथि अवश्य अंकित करता । इसके अलावा उसकी टीसी में दर्ज तिथि, जन्म प्रमाण पत्र एग्जीबिट-2 से भी मेल नहीं खाती है । इस जन्म प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 5.10.1965 अंकित है । यह जन्म प्रमाण-पत्र भी वर्ष 1996 में तैयार कराया गया है । इस प्रकार एसेसी द्वारा पेश साक्ष्य अकाट्य नहीं है।

9. रेस्पोण्डेण्टस ने बेअन्तकौर की आयु को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी आयु प्रमाण-पत्र एग्जीबिट 2 को साक्ष्य में पेश

किया था । उसकी सत्यता की जांच करने के लिये प्रिंसिपल मेडिकल आफिसर राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर को पत्र लिखा गया था, जहां से यह सूचना प्राप्त हुइ थी कि कार्यालय में अंकित तिथि को इस नाम से कोई उम्र का प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। यह प्रकरण इस बात का जीवंत उदाहरण है कि झूठ के पांव नहीं होते है।

10. अतः तथ्य दर्शाने के लिये पर्याप्त है कि ग्यारह बीघा जमीन को सरप्लस से बचाने की खातिर एवं सीलिंग प्रकरण को विफल करने के उददेश्य से इन सभी दस्तावेजात की रचना की गई है । इन सभी परिस्थितियों में बेअन्त कौर प्रकरण की महत्वपूर्ण साक्षिया हो सकती थी किन्तु उसे भी रेस्पोण्डेण्टस ने खाना शहादत में पेश नहीं किया है ।

11. उक्त विवेचन के स्वरूप राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत यह पक्षकथन सही प्रतीत होता है कि बेअन्तकौर का जन्म दिनांक 1.4.1966 से पूर्व तो नहीं हुआ था तथा विद्वान विचारण न्यायालय ने तथ्यों व साक्ष्य की गहराई में गए बगैर केवल मात्र सरसरी तौर पर साक्ष्य का विवेचन किया है ।

12. चूंकि दिनांक 1.4.1966 को एसेसी के परिवार के सदस्यों की संख्या मात्र 5 थी तथा उसके परिवार के पास उस तारीख को 57 बीघा 8 बिस्वा भूमि थी । इन पांच सदस्यों के लिए एसेसी का परिवार 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारण करने का अधिकारी है तथा शेष 11 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाना उचित है ।

13. लिहाजा यह अपील स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। पांचों सदस्यों के लिए रेस्पोण्डेण्टस प्रथम ग्रुप की 46 बीघा 8 बिस्वा भूमि धारण करने के अधिकारी हैं तथा शेष 11 बीघा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण अधिग्रहण की जाती है । निर्णय की प्रतियां मय रेकार्ड के जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित की जाए। निर्णय की एक प्रतिलिपि संबंधित तहसीलदार को निर्णय की पालना में 11 बीघा भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रेषित करने हेतु भेजी जावें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य